न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी का नामः—कपिल कुमार, यादव (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्याः—89/2019

1. **राकेश** कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

—————वादी।

बनाम

1. नीमादेवी पुत्री हनुमान राम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 2.कृष्णलाल पुत्र बलवंतराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 3. नीरज कमल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 4. संजय बिस्सू पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 5. प्रियंका पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 6. कलावती उर्फ कमलेश पुत्र निम्मादेवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ 7. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

——————प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री अनिल कुमार शर्मा, एडवोकेट—वादी
श्री प्रदीप भाटी, एडवोकेट—प्रति0 1 ता 6

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ,88 आर.टी.ए.

दिनांकः— 01.05.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हकूक की कृषि भूमि चक 19 एम एम के खाता संख्या 56/74 कुल 11.385 हैक्टर प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी को घरू बंटवारा में चक 19 एम एम के खाता संख्या 56/74 में वर्णित कुल आराजी 11.385 हैक्टर में से पत्थर नम्बर 100/206(21)किला नम्बर 14 ता 17, 24 ता 25 कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. यानि कुल 6.00 बीधा प्राप्त हुई व मौका पर कब्जा काश्त चला आ है किन्तु विवादित आराजी प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज रहने वादी के खातेदारी अधिकारो विपरीत असर पड़ रहा है। इस लिए वादी इस आश्य की घोषणा अपने पक्ष में करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी की और से प्रतिवादीया संख्या 1 से निवेदन किया कि काश्तकार मानकर कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग कायम करवा दो तो वह इनकार हो गई। यही वाद कारण है।

अतः चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100/206(21)किला नम्बर 14 ता 17, 24 ता 25 कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. यानि कुल 6.00 बीधा भूमि में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

3

कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया से खाता अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वयं हाजिर आकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 19 एम एम के खाता संख्या 56/47 खाता नीमादेवी संवत 2075–78 प्रदर्श 1 पेश की। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाया गया ।

वाद पत्र को कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अभिभाषक की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 नीमादेवी वादी की दादी है तथा उसके नाम से चक 19 एम एम के खाता संख्या 56/47 खाता नीमादेवी संवत 2075–78 प्रदर्श 1 के नाम से कृषि भूमि दर्ज है। वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान अनुसार प्रतिवादीया संख्या 1 वादी की दादी, प्रतिवादी संख्या 2 कृष्णलाल पुत्र, प्रतिवादीया संख्या 6 पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3,4,5 पौत्र व पौत्री है जिनका जन्मजात हक हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। प्रतिवादीया संख्या 1, 5 व 6 ने वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में हक परित्याग किया है जिसका राजीनामा में स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनाम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादीगण मुताबिक राजीनामा घरू बंटवारा में निम्न अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में अलग–2 खाता कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम का हिस्सा राजस्व रिकार्ड से कम किया जावे।

(1) वादी संख्या 1 राकेश कुमार के कब्जा काश्त की भूमिः–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100/206(21)किला नम्बर 14 ता 17, 24 ता 25 कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. यानि कुल 6.00 बीधा।

(2) प्रतिवादीया संख्या 1 नीमादेवी के कब्जा काश्त की भूमिः–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 98/205(18)किला नम्बर 17,23,24 पत्थर नम्बर 98/206 (19)किला नम्बर 3,4 पत्थर नम्बर 101/206(22)किला नम्बर 10,11पत्थर नम्बर 101/207(23)किला नम्बर 10 पत्थर नम्बर 100/207(24)किला नम्बर 5,6,15 हैक. कृषि भूमि मय गै.मु.

(3) प्रतिवादी संख्या 2 कृष्णलाल के कब्जा काश्त आराजीः–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100/205(16)किला नम्बर 16,17,23 ता 25 चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(4) प्रतिवादी संख्या 3 नीरज कमल उर्फ नीरज कुमार के कब्जा काश्त आराजी:–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100/206(18)किला नम्बर 3 ता 8 हैक.कृषि भूमि मय गै. मु.

(4) प्रतिवादी संख्या 4 संजय बिस्सू के कब्जा काश्त आराजी:–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 98/205(18)किला नम्बर 14 पत्थर नम्बर 99/211(42)किला नम्बर 1,10 पत्थर नम्बर 98/211(43)किला नम्बर 4 ता 15,19 व 20 हैक. कृषि भूमि मय गै.मु.

यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है, ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही डिकी का अमल दरामद किया जावे। राजीनामा निर्णय व डिकी का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ।

पीठासीन अधिकारी का नामः–कपिल कुमार, यादव (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्याः–89 / 2019

1. राकेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

––––वादी।

बनाम

1. नीमादेवी पुत्री हनुमान राम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 2.कृष्णलाल पुत्र बलवंतराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 3. नीरज कमल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 4. संजय बिस्सू पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 5. प्रियंका पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 6. कलावती उर्फ कमलेश पुत्र निम्मादेवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ 7. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

––––––प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए

निर्णय दिनांकः–

पर्चा डिकी

वादी की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा,एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की और से श्री प्रदीप मोहन भाटी, एडवोकेट की उपस्थिति में वाद मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वाद पत्र वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है। वादी मुताबिक राजीनामा घरू बंटवारा में निम्न अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में अलग–2 खाता कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम का हिस्सा राजस्व रिकार्ड से कम किया जावे।

(1) वादी संख्या 1 राकेश कुमार के कब्जा काश्त की भूमिः–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100 / 206(21)किला नम्बर 14 ता 17, 24 ता 25 कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. यानि कुल 6.00 बीधा।

(2) प्रतिवादीया संख्या 1 नीमादेवी के कब्जा काश्त की भूमिः–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 98 / 205(18)किला नम्बर 17,23,24 पत्थर नम्बर 98 / 206 (19)किला नम्बर 3,4 पत्थर नम्बर 101 / 206(22)किला नम्बर 10,11पत्थर नम्बर 101 / 207(23)किला नम्बर 10 पत्थर नम्बर 100 / 207(24)किला नम्बर 5,6,15 हैक. कृषि भूमि मय गै.मु.

(3) प्रतिवादी संख्या 2 कृष्णलाल के कब्जा काश्त आराजीः–
चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100 / 205(16)किला नम्बर 16,17,23 ता 25 चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर

(4) प्रतिवादी संख्या 3 नीरज कमल उर्फ नीरज कुमार के कब्जा काश्त आराजीः–

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

21/8

चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 100/206(18)किला नम्बर 3 ता 8 हैक.कृषि भूमि मय गै.मु.
(4) प्रतिवादी संख्या 4 संजय बिस्सू के कब्जा काश्त आराजी।

चक 19 एम एम के पत्थर नम्बर 98/205(18)किला नम्बर 14 पत्थर नम्बर 99/211(42)किला नम्बर 1,10 पत्थर नम्बर 98/211(43)किला नम्बर 4 ता 15,19 व 20 हैक.कृषि भूमि मय गै.मु.

राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है, ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही डिक्री का अमल दरामद किया जावे। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 1.8.19 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक कलक्टर
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.08.16 16:34:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: